संख्या– 1133बी / क0नि–6–2017–1(बी) / 2017

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

लखनऊः दिनॉकः 28 अगस्त, 2017

विषय : फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में।

महोदय,

आप सभी अवगत है कि फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा का जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन कर योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पात्र कृषकों को धनराशि अन्तरित किये जाने के विषयगत कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जानी है। समस्त आधारयुक्त डाटा का शत–प्रतिशत सत्यापन जनपद स्तर पर प्रथम चरण में सुनिश्चित हो इसी के दृष्टिगत प्रथम चरण में कार्यवाही पूर्ण कर लेने हेतु निर्धारित समय–सीमा 12 अगस्त, 2017 को बढ़ाकर 21 अगस्त, 2017 तक का समय दिया गया था परन्तु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी यह अनुभव किया गया है कि अधिकांश जनपदों में अपेक्षानुरूप उपलब्ध कराये डाटा का शत–प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया गया एवं एक बड़ी संख्या में डाटा को सत्यापन हेतु लंबित रखा गया । उक्त प्रवृत्ति को उच्च स्तर पर अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।

योजना के आगामी चरण हेतु सतत् रूप से आपके स्तर पर सत्यापन की कार्यवाही की जा रही होगी तथापि कतिपय जनपदों द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में लंबित डुप्लीकेट डाटा के विषयगत तत्काल समयबद्ध रूप से कार्यवाही कर निर्णय लिये जाने के दृष्टिगत निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये:–

1. **लिपिकीय / सदाशयतावश हुई त्रुटि के कारण डुप्लीकेट डाटा–**

   इस बात की संभावना है कि कृषक के ऋण संबंधी विवरण का डाटा उपलब्ध कराये जाने में शाखा प्रबंधकों द्वारा वेब पोर्टल पर डाटा इन्ट्री किये जाने में कृषक से संबंधित डाटा एक से अधिक बार पृविष्टि कर दिया गया हो और पोर्टल पर बनाये गये साफ्टवेयर में अर्लट की प्रकिया में उपरोक्त डाटा डुप्लीकेट डाटा के रूप में प्रदर्शित हो रहा हो। यदि ऋण संबंधी डाटा पूर्णतया समस्त विवरणों में यथा (उदाहरण के लिए केसीसी / आधार संख्या / नाम, धनराशि आदि) पर एक से अधिक बार प्रदर्शित हो रहा है तो इसके लिपिकीय त्रुटिवश अंकित होने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार के डाटा पर कार्यवाही / निर्णय लिये जाने हेतु समस्त शाखा प्रबंधकों से प्रत्येक शाखावार तैयार डुप्लीकेट डाटा की सूची पर बैंकों से अभिलेखीय सत्यापन कराते हुए जो रिकार्ड डिलीट किया जाना है उसके विषयगत सूचना शाखा स्तर पर तैयार कर, जो रिकार्ड वास्तव में सत्यापित किया जाना है, उक्त के विषय में राजस्व अभिलेख / सत्यापन के उपरान्त संस्तुति किये जाने के विषयगत सूची तत्काल तैयार कर ली जाये।

2. **कृषक द्वारा विभिन्न शाखाओं से एक ही भूमि एवं एक ही फसल के लिए, लिए गए भिन्न ऋण संबंधी डुप्लीकेसी**– ऐसे प्रकरणों में कृषक द्वारा जिन बैंकों से ऋण लिया गया है उनके साथ अभिलेखीय सत्यापन कराते हुए राजस्व प्रशासन द्वारा सत्यापन कर योजना में निर्धारित किये गये मानदण्डों के

3. उल्लेखनीय है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि कृषक द्वारा अपने एक ही आधार कार्ड पर विभिन्न शाखाओं से अपने स्वामित्व की भिन्न भूमि/ भिन्न फसल के लिए ऋण लिया गया हो। ऐसे प्रकरणों में संबंधित बैंकों से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं राजस्व विभाग द्वारा कराये गये सत्यापन के आधार पर योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कृषक की अर्हता के विषय में निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी।

4. जो प्रकरण प्रथम चरण में कृषक के मृतक होने के कारण लंबित रखे गये है उन समस्त प्रकरणों में शासन के आदेश संख्या–2651/12–2–17–60(6)/2017 दिनांक 29 जुलाई, 2017 के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्यवाही इस भॉति सुनिश्चित कर ली जायेगी कि द्वितीय चरण हेतु उपरोक्त मृतक के स्थान पर उसके संबंधित वारिस का नाम योजना में शामिल किये जाने के विषयगत डाटा जनपद स्तर से प्रेषित किया जा सके।

उपर्युक्त बिन्दु महज आपकी सहायता हेतु रेखांकित किये गये हैं जिससे कि प्रथम चरण में लंबित डुप्लीकेट डाटा के विषयगत यदि अब तक आपके स्तर पर शत–प्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कर ली गयी हो तो उसे आगामी दो–तीन दिवसों में अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त आप सभी को पुनः यह अवगत कराना समीचीन है कि आपके जनपद में उपलब्ध कराया गया समस्त डाटा जिसके विषय में प्रथम चरण में आप द्वारा अर्हता/अनर्हता संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है एवं सत्यापन की कार्यवाही अवेशष है, उक्त समस्त लंबित डाटा के सर्वोच्च प्राथमिकता पर सतत् रूप से सत्यापन की कार्यवाही की जानी है। यह महत्वपूर्ण है कि समस्त आधार से छूटे हुए डाटा को अभियान चलाकर बैंकों में आधार लिंक करवा लिया जाये। साथ ही साथ अभी तक राजस्व प्रशासन द्वारा कृषक के लघु एवं सीमान्त होने के विषयगत सत्यापन की कार्यवाही यदि अवशेष है तो उपरोक्त कार्यवाही भी समयबद्ध रूप से आगामी एक सप्ताह की अवधि में जनपद में लंबित समस्त डाटा के विषयगत पूर्ण करने का प्रयास किया जाये। इस विषय में शासन के सर्वोच्च स्तर पर जनपदों द्वारा की जा रही प्रगति की समीक्षा की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा। अतः समस्त जिलाधिकारी स्वयं अपने दिशा–निर्देशन में दैनिक रूप से जनपद में उपरोक्त के विषयगत की जा रही कार्यवाही की समीक्षा अवश्य करे।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
सचिव।

पु0पृ0सं0– बी/क0नि0–6–2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, संस्थागंत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ ।
7. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।